ALL-IN-ONE PAPERATHON

CRIMINAL MINOR LAW - I

- परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881
- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000
- लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012
- कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013
- घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005

Sample Preview

Prelims MCQs,
Mains & Interview Questions

हिंदी संस्करण

Linking Publication
Jodhpur, Rajasthan
www.LinkingLaws.com

Preface

Hello & नमस्कार,

Since 2011, when I entered in Law field, I have felt that current system of studying law as a Law learner is quite traditional (like 1980's competition times). I strongly believed one thing that if you want to fight in present tough competition war like judiciary exams or any other law exam, you must be equipped with smart techniques to learn with tech support. So, in student life as LL.B. student, I used to start linking with one provision other similar provisions at same time, so that I can recall multiple sections/concepts in one MCQs.

Along with that I do believe in one statement, **"वर्तमान को समझने के लिए, अतीत को देखें और फिर भविष्य के बारे में सोचना शुरू करें"**. This statement is directly linked with every student life. So, I found previous papers helpful to understand previous exam level, source of question asked in those exam etc. But frankly saying, I was not satisfied with traditional way of just solving previous exam papers MCQs, instead I decided that to get better output in preparation, we need to analysis the previous paper subject wise rather year wise.

All these ideas, efforts, and experiences have come together in one powerful initiative—"**Paperathon**." It's not just a study tool; it's a movement towards smarter, sharper, and Subject wise strategic judiciary preparation. It is featured with the Linking Technique—a modern, game-changing approach that connects concepts, laws, and real-world application like never before.

In **Prelims**, you'll get linked provisions with clear explanations, helping you master the 'why' behind every question. In **Mains**, you'll learn how to write answers that don't just inform but impress—through linking-based structure and analysis. And for the **Interview**, Paperathon brings you exclusive, real-time Questions & Answers straight from those who've cracked it—now proudly serving as Civil Judges across various states.

This is more than preparation—it's transformation. And I truly believe Paperathon will save you time, boost your confidence, and help you walk into every stage of the exam with clarity, strategy, and a winning edge.

"Don't just prepare. Link your preparation with purpose, precision, and power."

With belief in your journey,

- **Tansukh Paliwal**

Founder of Linking Laws

© All rights including copyright reserved with the publisher.

Sample Preview

Disclaimer

No part of the present book may be reproduced re-casted by any person in any manner whatsoever or translated in any other language without written permission of publishers or Author(s). All efforts have been made to avoid any error or mistakes as to contents but this book may be subject to any un-intentional error/omission etc.

Edition : 2026

www.LinkingLaws.com

INDEX

Sr. No.	Subjects	Page No.
Part – I (Prelims MCQs)		
1.	परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881	1-25
2.	सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000	26-42
3.	लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012	43-52
4.	कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013	53-56
5.	घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005	57-70
Part – II (Mains Questions Solved)		
6.	परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881	71-123
7.	सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000	124-149
8.	लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012	150-178
9.	कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013	179-205
10.	घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005	206-230
Part – III (Interview Questions Solved)		
11.	परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881	231-241
12.	सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000	242-246
13.	लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012	247-250
14.	कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013	251-254
15.	घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005	255-256

Sample Preview

Part - I

Prelims MCQs

Sample Preview

अध्याय - I : प्रारम्भिक (1-3)

1. धारा 1 के अंतर्गत अधिनियम का संक्षिप्त शीर्षक क्या है?
(A) विनिमेय लिखत अधिनियम, 1881
(B) भारतीय मुद्रा अधिनियम, 1881
(C) विनिमय बिल अधिनियम, 1881
(D) प्रतिज्ञा पत्र अधिनियम, 1881
Ans: (A)
लिंकिंग प्रावधान: धारा 1 – संक्षिप्त शीर्षक।
स्पष्टीकरण: अधिनियम का आधिकारिक नाम विनिमेय लिखत अधिनियम, 1881 है।

2. धारा 2 अधिनियम की व्याख्या धारा है। इनमें से कौन-सा इस धारा में परिभाषित है?
(A) बैंकर
(B) आहरणकर्ता
(C) विधिपूर्वक धारक
(D) सम्मान हेतु स्वीकर्ता
Ans: (A)
लिंकिंग प्रावधान: धारा 2 – Interpretation clause.
स्पष्टीकरण: धारा 2 में "बैंकर" की परिभाषा दी गई है, जबकि अन्य शब्द आगे की धाराओं में परिभाषित हैं।

3. धारा 3 अधिनियम में किस पारंपरिक लिखतों से संबंधित प्रथाओं को सुरक्षित रखती है?
(A) हुंडी
(B) चेक
(C) प्रतिज्ञा पत्र
(D) विनिमय बिल
Ans: (A)
लिंकिंग प्रावधान: धारा 3
स्पष्टीकरण: अधिनियम स्थानीय प्रथाओं को प्रभावित नहीं करता, विशेषकर हुंडी जैसे पारंपरिक लिखतों को।

अध्याय - II : वचन-पत्रों, विनिमय-पत्रों और चेकों के विषय में (4-25)

4. पाँच सौ रुपये के नोट पर लिखा है "मैं धारक को पाँच सौ रुपये देने का वचन देता हूँ - गवर्नर ।" यह पाँच सौ का करेन्सी नोट
(A) वचन पत्र है
(B) वचन पत्र नहीं है ।
(C) निर्णयाधीन है
(D) उपरोक्त में से कोई नहीं
[CG PSC(J) 2025]
Ans. [B]
लिंकिंग प्रावधान: धारा 31, भारत अधिनियम रिजर्व बैंक , 1934: डिमांड बिल और नोट जारी करना
स्पष्टीकरण: ₹500 के करेंसी नोट पर यह लिखा होता है – "I promise to pay the bearer the sum of Rs. 500/- – Governor." परन्तु यह प्रॉमिसरी नोट नहीं है, क्योंकि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 31 के अनुसार ऐसे नोट केवल भारतीय रिज़र्व बैंक और भारत सरकार ही निर्गत कर सकते हैं तथा उन्हें मुद्रा (currency) माना जाता है, न कि विनिमेय लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 4 के अधीन प्रॉमिसरी नोट।

5. एक व्यक्ति जो सद्विश्वास और मूल्यवान प्रतिफल के लिए एक परक्राम्य लिखत प्राप्त करता है, के रूप में जाना जाता है
(A) धारक
(B) मूल्य के लिए धारक
(C) नियत समय में धारक
(D) अधिकारों में धारक
[BJS 2009]
Ans. [C]
लिंकिंग प्रावधान- धारा 9 L/w 8, 10 N. I. Act।
स्पष्टीकरण– धारा 9 शब्द "सम्यक्-अनुक्रम-धारक" को परिभाषित करता है। इस धारा के अनुसार, सम्यक्-अनुक्रम-धारक से कोई भी ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो वचन-पत्र, विनिमय-पत्र या चेक में वर्णित रकम के देय होने से पूर्व और यह विश्वास करने का कि जिस व्यक्ति से उसे अपना हक व्युत्पन्न हुआ है उस व्यक्ति के हक में कोई त्रुटि वर्तमान थी पर्याप्त हेतुक रखे बिना, उस दशा में, जिसमें कि वह वाहक को देय है, उस पर प्रतिफलार्थ काबिज हो गया है, अथवा उस दशा में, जिसमें कि वह आदेशानुसार देय है, उसका पानेवाला या पृष्ठांकिती हो गया है ।

6. सभी चेक विनिमय बिल हैं, लेकिन सभी विनिमय बिल चेक नहीं हैं
(A) सत्य
(B) असत्य
(C) आंशिक रूप से सत्य और आंशिक रूप से असत्य
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
[BJS 2009]
Ans. [A]
लिंकिंग प्रावधान- धारा 4, 5, 6, 11, 12, 13 N. I. Act।
स्पष्टीकरण– सभी चेक विनिमय बिल हैं, लेकिन सभी विनिमय बिल चेक नहीं हैं। यह कथन सत्य है।

7. परक्राम्य लिखत अधिनियम तीन उपकरणों का विनिर्दिष्ट उल्लेख करता है, अर्थात् चेक, विनिमय बिल और
(A) वचन पत्र
(B) हुंडी
(C) बैंक ड्राफ्ट
(D) उपरोक्त सभी
[BJS 2009]
Ans. [A]
लिंकिंग प्रावधान- धारा 4, 5, 6, 13 N. I. Act।
स्पष्टीकरण– परक्राम्य लिखत अधिनियम तीन लिखतों का विनिर्दिष्ट उल्लेख करता है, अर्थात् चेक u/s 6, विनिमय बिल u/s 5 और वचन-पत्र u/s 4।

8. 'परक्राम्य लिखत' शब्द को परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत परिभाषित किया गया है
(a) धारा 2(घ) (b) धारा 12
(c) धारा 13 (d) धारा 13क
[BJS 2013]
Ans. [c]
लिंकिंग प्रावधान :-
1. धारा 4 - वचन पत्र।
2. धारा 5 - विनिमय पत्र।
3. धारा 6 - चेक।
स्पष्टीकरण - धारा 13 के अनुसार वचन पत्र, विनिमय पत्र व चेक परक्राम्य लिखत है, जबकि अंश प्रमाण पत्र परक्राम्य लिखत नही है।

9. एक व्यक्ति जो मूल्यवान प्रतिफल के लिए सद्भावना में परक्राम्य लिखत प्राप्त करता है, कहलाता है –
(a) मूल्य धारक
(b) धारक
(c) अधिकारों में धारक
(d) सम्यक् अनुक्रम धारक

Sample Preview

www.LinkingLaws.com

[BJS 2013]

Ans. (d)
लिंकिंग प्रावधान :- धारा 8 - धारक।
स्पष्टीकरण - धारा 9 - जहाँ कोई व्यक्ति वचन पत्र, विनिमय पत्र, चेक रकम देय होने से पूर्व और विश्वास से की कोई त्रुटि ऐसे हक मे नहीं है जिससे उसने प्राप्त किया है, प्रतिफलार्थ प्राप्त करता है, वह सम्यक् अनुक्रम धारक है।

10. सभी चेक विनिमय बिल होते हैं, लेकिन सभी विनिमय बिल चेक नहीं होते हैं
(a) मिथ्या
(b) आंशिक रूप से सत्य और आंशिक रूप से मिथ्या
(c) सत्य
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

[BJS 2013]

Ans. [c]
लिंकिंग प्रावधान- धारा 5, 6 N.I. Act।
स्पष्टीकरण- यह कथन सत्य है, सभी चेक विनिमय बिल है परंतु सभी विनिमय बिल चेक नही है।

11. एक परक्राम्य लिखत के उद्देश्य के लिए उचित समय निर्धारित करने में
(a) सार्वजनिक छुट्टियों को बाहर रखा गया है
(b) सार्वजनिक अवकाश शामिल हैं
(c) केवल बैंकों द्वारा मनाई गई छुट्टियों को बाहर रखा गया है
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

[BJS 2013]

Ans. [a]
लिंकिंग प्रावधान :-
1. **धारा 22 -** परिपक्वता।
2. **धारा 23** - विनिमय पत्र या वचन पत्र के देय होने पर परिपक्वता की गणना।
3. **धारा 4 -** विहित समय की समाप्ति ऐसे दिन हो जब अवकाश हो, समय का अपवर्जन(परिसीमा अधिनियम, 1963)।
4. **धारा 472 -** विहित समय की समाप्ति ऐसे दिन हो जब अवकाश हो, समय का अपवर्जन (दंड प्रक्रिया संहिता, 1973)।

स्पष्टीकरण - धारा 25 - जब कि वह दिन, जिसको वचन पत्र या विनिमय पत्र परिपक्व हो जाये, परिपक्वता का दिन लोक अवकाश हो तब लिखता निकटतम पूर्व कारोबार वाले दिन शोध्य समझी जायेगी। ऐसा दिन अपवर्जित किया जायेगा।

12. निम्नलिखित में से कौन सा परक्राम्य लिखत का उदाहरण नहीं है?
(a) वचन पत्र (b) विनिमय पत्र
(c) अंश प्रमाणपत्र (d) चेक

[BJS 2018]

Ans. [c]
लिंकिंग प्रावधान :-
1. **धारा 4 -** वचन पत्र।
2. **धारा 5 -** विनिमय पत्र।
3. **धारा 6 -** चेक।

स्पष्टीकरण - धारा 13 के अनुसार वचन पत्र, विनिमय पत्र व चेक परक्राम्य लिखत है, जबकि अंश प्रमाण पत्र परक्राम्य लिखत नही है।

13. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन वचन-पत्र के लिए सही नहीं है?
(a) एक वचन-पत्र लेखन में एक लिखत है।
(b) इसमें निर्माता द्वारा हस्ताक्षरित एक सशर्त वचनबन्ध शामिल है।
(c) यह केवल एक निश्चित राशि के भुगतान के लिए होता है।
(d) भुगतान एक निश्चित व्यक्ति या लिखत के वाहक को करना है।

[BJS 2020]

Ans.[b]
लिंकिंग प्रावधान: धारा 4 L/w 5, 6 परक्राम्य लिखत अधिनियम।
स्पष्टीकरण- धारा 4 के अनुसार, एक "वचन पत्र" लिखित रूप में एक लिखत है (बैंक-नोट या मुद्रा-नोट नहीं है) जिसमें निर्माता द्वारा हस्ताक्षरित बिना शर्त
का वचन दिया जाता है, केवल एक निश्चित राशि का भुगतान करने के लिए, या किसी निश्चित व्यक्ति के आदेश पर, या लिखत के धारक के लिए।

14. हालाँकि एक चेक कई तरह से विनिमय-पत्र से मिलता-जुलता है, लेकिन यह भी दूसरे मामलों में एक अलग उपकरण है। इंगित कीजिए कि चेक और विनिमय-पत्र के बीच अंतर के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन गलत है।
(a) एक चेक को स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन विनिमय-पत्र को इसकी आवश्यकता होती है।
(b) एक चेक संचलन के लिए अभिप्रेत नहीं है, लेकिन विनिमय-पत्र संचलन के लिए अभिप्रेत है।
(c) एक चेक अनुग्रह के कुछ दिनों का हकदार नहीं है, लेकिन ऐसा विनिमय-पत्र के मामले में है।
(d) एक चेक को अस्वीकृति द्वारा अनादृत किया जाता है, परन्तु विनिमय-पत्र के मामले में ऐसा नहीं है।

[BJS 2020]

Ans.[d]
लिंकिंग प्रावधान: Sec.5, 6 L/w 4, 138 N.I. Act.
स्पष्टीकरण-

S. No.	Cheque	Bill of Exchange
1.	यह एक दस्तावेज है, जिसका उपयोग मांग पर भुगतान करने के लिए किया जाता है और इसे परिदान के माध्यम से अंतरित किया जा सकता है।	यह एक लिखित दस्तावेज है जो लेनदार के प्रति देनदार की ऋणग्रस्तता को दर्शाता है।
2.	यह केवल मांग पर देय होता है।	यह एक निश्चित तिथि या अवधि की समाप्ति पर देय हो जाता है।
3.	भुगतान से पहले इस पर मुद्रांकित किया जाने की जरूरत नहीं है।	भुगतान से पहले इसे पर्याप्त रूप से मुद्रांकित किया जाना चाहिए।
4.	चेक के अनादरण के लिए कोई विरोध या नोटिंग नहीं है।	बिल के अनादरण के मामले में नोट करने और विरोध करने की प्रथा का पालन किया जाता है।
5.	भुगतान के लिए इसे प्रस्तुत करने में धारक की देरी से लेखीवाल मुक्त नहीं होता है।	यदि भुगतान के लिए विधिवत रूप से प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो लेखीवाल को दायित्व से मुक्त कर दिया जाता है।

15. निम्नलिखित में से कौन-सी स्थिति 'सम्यक् अनुक्रम धारक' के आवश्यक तत्त्वों के अनुकूल नहीं है?
(a) धारक को लिखत मूल्य के लिए लेना चाहिए।
(b) उसे लिखत को इसकी परिपक्वता की तारीख पर सकारात्मक रूप से प्राप्त कर लेना चाहिए।
(c) लिखत सम्पूर्ण एवं अपने आप में नियमित होना चाहिए।
(d) उसे लिखत को सद्भावपूर्वक एवं लिखत में बिना किसी दोष की सूचना के प्राप्त करना चाहिए।

[BJS 2020]

Ans.[b]
लिंकिंग प्रावधान: धारा 9 L/w 8, 10 परक्राम्य लिखत अधिनियम।
स्पष्टीकरण- धारक को उस व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है जो भुगतान के लिए देय होने से पहले प्रतिफल के लिए परक्राम्य लिखत प्राप्त करता है और पक्ष के दोषपूर्ण स्वत्व के बारे में कोई प्रतिफल नहीं करता है जो उसे लिखत अंतरित करता है। एक व्यक्ति जो परक्राम्य लिखत को किसी प्रतिफल के लिए सदाशयी प्राप्त करता है, जिसका भुगतान अभी भी देय है, उसे नियत समय में धारक कहा जाता है।

Sample Preview

Part - II

Mains Questions Solved

Sample Preview

www.LinkingLaws.com

अध्याय - I : प्रारम्भिक (1-3)

1. परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 1 पर चर्चा कीजिए। इसका क्षेत्राधिकार और अनुप्रयोग क्या है?

Ans- परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 1: क्षेत्राधिकार और अनुप्रयोग

1. परिचय

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 1 इस अधिनियम के **शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ** को परिभाषित करने वाला प्रारंभिक प्रावधान है। यह अधिनियम मुख्य रूप से **वचन पत्र (Promissory Notes), विनिमय पत्र (Bills of Exchange) और चेक (Cheques)** जैसे ऋण लिखतों से संबंधित कानून को परिभाषित और संशोधित करने के लिए बनाया गया था, जो धन में परिवर्तनीय और आसानी से हस्तांतरणीय होते हैं।

2. शीर्षक और प्रारंभ

- **संक्षिप्त शीर्षक:** इस अधिनियम को **परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881** कहा जाता है।
- **प्रारंभ:** यह अधिनियम 1881 में अधिनियमित होने के बावजूद **1 मार्च, 1882** को लागू हुआ।

3. भौगोलिक और व्यक्तिगत विस्तार

- **स्थानीय विस्तार:** यह अधिनियम **संपूर्ण भारत** पर विस्तारित है।
- **व्यक्तियों पर अनुप्रयोग:** इस अधिनियम के प्रावधान भारत में रहने वाले **सभी व्यक्तियों** पर लागू होते हैं, चाहे वे **भारतीय नागरिक हों या विदेशी**।

4. अधिनियम का क्षेत्राधिकार (Scope)

अधिनियम का मुख्य क्षेत्राधिकार धारा 13(1) के अनुसार लिखतों की तीन विशिष्ट श्रेणियों तक सीमित है:

1. **वचन पत्र** (धारा 4 के तहत परिभाषित)।
2. **विनिमय पत्र** (धारा 5 के तहत परिभाषित)।
3. **चेक** (धारा 6 के तहत परिभाषित)।

यद्यपि ये प्राथमिक लिखत हैं, अधिनियम के प्रावधान अन्य लिखतों जैसे सरकारी वचन पत्र, रेलवे रसीद और वितरण आदेशों पर भी तब तक विस्तारित हो सकते हैं, जब तक कि उनके विपरीत कोई स्थानीय प्रथा न हो।

5. व्यावृत्ति खंड (Saving Clause) और स्थानीय प्रथाएं

धारा 1 की एक महत्वपूर्ण विशेषता स्थानीय प्रथाओं के संबंध में **व्यावृत्ति खंड** है:

- **हुंडी और प्राच्य भाषाएँ:** यह अधिनियम **प्राच्य भाषा (Oriental language)** में लिखे गए लिखतों (जैसे **हुंडी**) से संबंधित किसी भी **स्थानीय उपयोग या प्रथा** को प्रभावित नहीं करता है। ये लिखत प्रथागत व्यवहारों द्वारा शासित होते रहते हैं, जब तक कि पार्टियों के बीच कोई ऐसा विवाद न हो जिसे वे इस अधिनियम के माध्यम से हल करना चाहते हों।
- **अपवर्जन का परंतुक (Proviso for Exclusion):** पार्टियों के पास स्थानीय प्रथाओं को **अपवर्जित** करने की स्वायत्तता है। यदि लिखत के मुख्य भाग में ऐसे शब्द शामिल हैं जो यह संकेत देते हैं कि पार्टियों के कानूनी संबंध **इस अधिनियम द्वारा शासित** होंगे, तो वैधानिक प्रावधान स्थानीय प्रथाओं पर प्रभावी होंगे।
- **कागजी मुद्रा अधिनियम:** धारा 1 स्पष्ट रूप से बताती है कि यह अधिनियम **भारतीय कागजी मुद्रा अधिनियम, 1871** की धारा 21 को प्रभावित नहीं करता है। यह मुद्रा नोटों और बैंक नोटों को जारी करने के संबंध में सरकार और आरबीआई के वैधानिक एकाधिकार को सुनिश्चित करता है, जिन्हें धारा 4 के तहत वचन पत्र की परिभाषा से विशेष रूप से बाहर रखा गया है।

6. निष्कर्ष

धारा 1 भारत भर में परक्राम्य लिखतों के लिए एक **समान कानूनी ढांचा** स्थापित करती है, जबकि हुंडी जैसे स्वदेशी ऋण लिखतों के ऐतिहासिक और व्यावसायिक महत्व का सम्मान करती है। अधिनियम के शासन को चुनने का विकल्प प्रदान करके, यह **व्यावसायिक निश्चितता** और **पारंपरिक व्यापारिक रीति-रिवाजों** के बीच संतुलन बनाता है।

Sample Preview

अध्याय - II : वचन-पत्रों, विनिमय-पत्रों और चेकों के विषय में (4-25)

2. 'वचन पत्र' को परिभाषित कीजिए। क्या आप निम्नलिखित को वचन पत्र मानते हैं?

(i) मैं 'बी', एक राशि या 5,000/- रुपये का भुगतान करने का वादा करता हूं और कोई अन्य राशि जो उसे देय हो।

(ii) मैं 'बी' को 8,000/- रुपये 'ए' की मृत्यु के एक महीने बाद भुगतान करने का वादा करता हूं। ।

[OJS 2017]

Ans- वचन पत्र की परिभाषा और आवश्यक तत्व

1. धारा 4 के तहत परिभाषा

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 4 के अनुसार, एक **"वचन पत्र"** लिखित रूप में एक लिखत है (जो बैंक-नोट या मुद्रा-नोट नहीं है), जिसमें निर्माता द्वारा हस्ताक्षरित एक **बिना शर्त वचन** होता है कि वह एक **निश्चित धनराशि** केवल एक निश्चित व्यक्ति को, या उसके आदेश पर, या उस लिखत के वाहक को भुगतान करेगा।

2. एक वैध वचन पत्र के आवश्यक तत्व

वैधानिक परिभाषा और न्यायिक व्याख्याओं के आधार पर, इसके अनिवार्य लक्षण निम्नलिखित हैं:

- **लिखित होना:** लिखत अनिवार्य रूप से लिखित होना चाहिए क्योंकि मौखिक वादे का कोई कानूनी मूल्य नहीं है।
- **बिना शर्त वचन:** भुगतान करने का स्पष्ट और बिना शर्त वचन होना चाहिए।
- **निर्माता के हस्ताक्षर:** लिखत तभी वैध होता है जब उस पर वादा करने वाले व्यक्ति (निर्माता) के हस्ताक्षर हों।
- **निश्चित धनराशि:** भुगतान की जाने वाली राशि निश्चित और स्पष्ट होनी चाहिए।
- **निश्चित पक्ष:** निर्माता और प्राप्तकर्ता दोनों की पहचान लिखत पर उचित निश्चितता के साथ होनी चाहिए।

3. विशिष्ट उदाहरणों का विश्लेषण

(i) "मैं 'बी' को 5,000/- रुपये और कोई अन्य राशि जो उसे देय हो सकती है, भुगतान करने का वादा करता हूं।"

- **निर्धारण:** यह **वचन पत्र नहीं है**।

www.LinkingLaws.com

- **कारण:** धारा 4 के तहत एक अनिवार्य शर्त यह है कि धनराशि **"निश्चित"** होनी चाहिए। इस उदाहरण में, "कोई अन्य राशि जो देय हो सकती है" वाक्यांश कुल देयता के संबंध में **अनिश्चितता** पैदा करता है। चूंकि राशि पूर्व-निर्धारित या निश्चित नहीं है, इसलिए यह वैधानिक आवश्यकता को पूरा करने में विफल रहता है।

(ii) "मैं 'बी' को 'ए' की मृत्यु के एक महीने बाद 8,000/- रुपये भुगतान करने का वादा करता हूं।"

- **निर्धारण:** यह एक **वैध वचन पत्र है**।
- **कारण:** धारा 4 और धारा 5 में दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, यदि कोई वादा किसी ऐसी घटना के बाद पूरा किया जाना है जिसका **घटित होना निश्चित** है, तो उसे "सशर्त" नहीं माना जाता है, भले ही उस घटना का सटीक समय अनिश्चित हो। चूंकि मृत्यु एक अपरिहार्य और निश्चित घटना है, इसलिए इस वचन को कानूनी रूप से **"बिना शर्त"** माना जाता है। अतः, किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद भुगतान करने का वादा वचन पत्र की सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है।

निष्कर्ष

पहला लिखत **धनराशि की अनिश्चितता** के कारण विफल हो जाता है, जबकि दूसरा लिखत वैध है क्योंकि भुगतान शुरू करने वाली घटना (मृत्यु) **कानूनी रूप से निश्चित** है, जिससे वह वचन बिना शर्त बन जाता है।

3. एक परक्राम्य लिखत क्या है? इसके आवश्यक अवयवों का वर्णन कीजिए।

[BJS 1975]

Or

परक्राम्य लिखत' से आप क्या समझते हैं? परक्राम्य उपकरणों की विशेषताओं पर चर्चा करें।

[BJS 2006]

Or

परक्राम्य लिखत को परिभाषित कीजिए।

[RJS 1984]

Or

"परक्राम्य लिखत" से आप क्या समझते हैं। परक्राम्य लिखत की विशेषताओं का वर्णन कीजिए।

[BJS, 2014]

Or

'परक्राम्य लिखत' से आपका क्या अभिप्राय है? इसकी विशेषताओं एवं इसके प्रकार की विवेचना कीजिये। 'चैक' के आवश्यक तत्त्वों पर प्रकाश डालिये।

[BJS, 2021]

Ans- परक्राम्य लिखत – परिभाषा, विशेषताएँ और प्रकार

1. परक्राम्य लिखत की परिभाषा

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की **धारा 13(1)** के अनुसार, **"परक्राम्य लिखत"** से तात्पर्य **वचन पत्र (promissory note), विनिमय पत्र (bill of exchange) या चेक (cheque)** से है, जो या तो **आदेश (order)** पर या **वाहक (bearer)** को देय होता है।

व्यापक विधिक संदर्भ में, यह एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जो किसी व्यक्ति को **एक निश्चित धनराशि** प्राप्त करने का अधिकार देता है और जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को केवल **परिदान (delivery)** द्वारा या **पृष्ठांकन और परिदान (endorsement and delivery)** द्वारा हस्तांतरित किया जा सकता है।

2. आवश्यक तत्व और विशेषताएँ

एक परक्राम्य लिखत में कई विशिष्ट गुण होते हैं जो इसे सामान्य अनुबंधों से अलग करते हैं:

- **लिखित और हस्ताक्षरित:** यह अनिवार्य रूप से एक **लिखित लिखत** होना चाहिए और निर्माता (maker) या लेखक (drawer) द्वारा विधिवत **हस्ताक्षरित** होना चाहिए।
- **हस्तांतरणीयता (परक्राम्यता):** धारा 14 के तहत, परक्रामण तब होता है जब लिखत किसी व्यक्ति को इस प्रकार हस्तांतरित किया जाता है कि वह व्यक्ति उसका **धारक (holder)** बन जाए। वाहक लिखत साधारण परिदान द्वारा और आदेश लिखत पृष्ठांकन एवं परिदान द्वारा हस्तांतरित होते हैं।
- **प्राप्तकर्ता को बेहतर स्वत्व (Title):** इसकी एक मुख्य विशेषता यह है कि यह **"nemo dat quod non habet"** (कोई भी वह नहीं दे सकता जो उसके पास नहीं है) के नियम का अपवाद है। एक **यथाविधि धारक (Holder in Due Course)** को लिखत पर **साफ-सुथरा स्वत्व** प्राप्त होता है, भले ही हस्तांतरणकर्ता के स्वत्व में कोई दोष रहा हो।
- **धनराशि और पक्षों की निश्चितता:** भुगतान की जाने वाली राशि **निश्चित** होनी चाहिए। इसी प्रकार, पक्षकारों (निर्माता, लेखक और प्राप्तकर्ता) की पहचान भी निश्चित होनी चाहिए।
- **बिना शर्त वचन/आदेश:** भुगतान करने का वचन (वचन पत्र में) या आदेश (विनिमय पत्र/चेक में) **बिना शर्त** होना चाहिए।
- **कानूनी उपधारणाएं (धारा 118):** प्रत्येक परक्राम्य लिखत के संबंध में कुछ **वैधानिक उपधारणाएं** तब तक मान्य रहती हैं जब तक कि इसके विपरीत सिद्ध न कर दिया जाए:
  1. कि इसे **प्रतिफल (consideration)** के बदले बनाया गया है।
  2. कि यह उस **दिनांक** पर लिखा गया है जो इस पर अंकित है।
  3. कि प्रत्येक हस्तांतरण **परिपक्वता (maturity)** से पहले किया गया है।

3. परक्राम्य लिखत के प्रकार

यह अधिनियम विशेष रूप से तीन प्रकार के लिखतों को मान्यता देता है:

1. **वचन पत्र (धारा 4):** एक लिखित लिखत जिसमें निर्माता द्वारा एक निश्चित धनराशि भुगतान करने का बिना शर्त वचन होता है।
2. **विनिमय पत्र (धारा 5):** एक लिखित लिखत जिसमें लेखक द्वारा हस्ताक्षरित एक बिना शर्त आदेश होता है, जो किसी व्यक्ति को एक निश्चित धनराशि भुगतान करने का निर्देश देता है।

Sample Preview

www.LinkingLaws.com

Part - III

Interview Questions Solved

Sample Preview

अध्याय - I: प्रारम्भिक

1. परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 कब लागू हुआ?
उत्तर : यह 1 मार्च, 1882 को लागू हुआ।

2. अधिनियम का क्षेत्रीय विस्तार क्या है?
उत्तर : इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है।

3. अधिनियम प्राच्य भाषाओं (हुंडियों) से संबंधित लिखतों के स्थानीय उपयोगों को कैसे प्रभावित करता है?
उत्तर : अधिनियम की कोई भी बात किसी प्राच्य भाषा की लिखत, जैसे कि हुंडियों से संबंधित किसी भी स्थानीय उपयोग को प्रभावित नहीं करती है।

4. क्या प्राच्य लिखतों के संबंध में स्थानीय उपयोगों को वर्जित किया जा सकता है?
उत्तर : हाँ, लिखत के मुख्य भाग में ऐसे शब्दों द्वारा ऐसे उपयोगों को वर्जित किया जा सकता है जो यह संकेत देते हों कि कानूनी संबंध इस अधिनियम द्वारा शासित होंगे।

5. निर्वचन खंड के अनुसार "बैंकर" को परिभाषित करें।
उत्तर : "बैंकर" के अंतर्गत बैंकर के रूप में कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति और कोई भी डाकघर बचत बैंक शामिल है।

अध्याय - II: वचन-पत्रों, विनिमय-पत्रों और चेक के विषय में

6. धारा 4 के तहत "वचन-पत्र" को परिभाषित करें।
उत्तर : "वचन-पत्र" लिखित एक ऐसी लिखत है (जो बैंक-नोट या करेंसी-नोट नहीं है) जिसमें उसके रचयिता द्वारा हस्ताक्षरित एक बिना शर्त वचनबंध होता है कि वह एक निश्चित राशि केवल किसी निश्चित व्यक्ति को या उसके आदेशानुसार या उस लिखत के वाहक को भुगतान करे।

7. "विनिमय-पत्र" क्या होता है?
उत्तर : "विनिमय-पत्र" लिखित एक ऐसी लिखत है जिसमें रचयिता द्वारा हस्ताक्षरित एक बिना शर्त आदेश होता है, जो किसी निश्चित व्यक्ति को यह निर्देश देता है कि वह एक निश्चित राशि केवल किसी निश्चित व्यक्ति को या उसके आदेशानुसार या लिखत के वाहक को भुगतान करे।

8. धारा 6 के अनुसार "चेक" को परिभाषित करें।
उत्तर : "चेक" एक ऐसा विनिमय-पत्र है जो किसी विनिर्दिष्ट बैंकर पर लिखा जाता है और जो मांग पर ही देय होने के अलावा अन्यथा देय व्यक्त नहीं किया जाता है; इसके अंतर्गत किसी काटे गए चेक की इलेक्ट्रॉनिक छवि और इलेक्ट्रॉनिक रूप में चेक भी शामिल है।

9. विनिमय-पत्र में "लेखक" (Drawer) और "द्रष्टा" (Drawee) कौन होते हैं?
उत्तर : विनिमय-पत्र या चेक के रचयिता को "लेखक" कहा जाता है; और जिस व्यक्ति को भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है उसे "द्रष्टा" कहा जाता है।

10. "काटा गया चेक" (Truncated Cheque) क्या है?
उत्तर : "काटा गया चेक" वह चेक है जिसे समाशोधन चक्र के दौरान समाशोधन गृह या बैंक द्वारा संचरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक छवि बनने के तुरंत बाद रोक दिया जाता है, जो चेक के भौतिक संचलन का स्थान ले लेता है।

11. "आवश्यकता की स्थिति में द्रष्टा" कौन है?
उत्तर : जब बिल में या किसी पृष्ठांकन में, द्रष्टा के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति का नाम दिया जाता है जिससे आवश्यकता पड़ने पर संपर्क किया जा सके, तो ऐसे व्यक्ति को "आवश्यकता की स्थिति में द्रष्टा" कहा जाता है।

12. "आदर के लिए स्वीकारकर्ता" को परिभाषित करें।
उत्तर : जब किसी विनिमय-पत्र को अनादरण या बेहतर सुरक्षा के लिए टिप्पणित या प्रसाक्ष्यांकित किया जाता है, और कोई व्यक्ति लेखक या किसी पृष्ठांकक के आदर के लिए उसे स्वीकार करता है, तो उसे "आदर के लिए स्वीकारकर्ता" कहा जाता है।

13. धारा 8 के तहत "धारक" कौन है?
उत्तर : "धारक" से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो अपने नाम में लिखत पर कब्जा रखने और उससे संबंधित पक्षों से देय राशि प्राप्त करने या वसूलने का हकदार है।

14. "यथाविधि धारक" (Holder in Due Course) को परिभाषित करें।
उत्तर : इसका अर्थ है वह व्यक्ति जो प्रतिफल के लिए लिखत का कब्जाधारी (यदि वाहक को देय है) या प्राप्तकर्ता/पृष्ठांकिती (यदि आदेश पर देय है) बन गया, इससे पहले कि राशि देय हुई हो, और यह विश्वास करने के पर्याप्त कारण के बिना कि हस्तांतरणकर्ता के स्वत्व में कोई दोष था।

15. "यथाविधि भुगतान" से क्या अभिप्राय है?
उत्तर : इसका अर्थ है लिखत के स्पष्ट स्वरूप के अनुसार सद्भावनापूर्वक और बिना किसी लापरवाही के, उसके कब्जाधारी व्यक्ति को किया गया भुगतान।

16. अंतर्देशीय और विदेशी लिखत के बीच अंतर स्पष्ट करें।
उत्तर : भारत में रचित और भारत में देय, या भारत के निवासी पर लिखा गया लिखत "अंतर्देशीय लिखत" है; अन्य कोई भी लिखत "विदेशी लिखत" है।

17. धारा 13 के तहत मान्यता प्राप्त तीन प्रकार के परक्राम्य लिखत कौन से हैं?
उत्तर : "परक्राम्य लिखत" का अर्थ है वचन-पत्र, विनिमय-पत्र या चेक जो या तो आदेश पर या वाहक को देय हो।

18. धारा 14 के अनुसार "परक्रामण" क्या है?
उत्तर : जब कोई वचन-पत्र, विनिमय-पत्र या चेक किसी व्यक्ति को इस प्रकार हस्तांतरित किया जाता है कि वह व्यक्ति उसका धारक बन जाए, तो लिखत को परक्रामित कहा जाता है।

19. "पृष्ठांकन" को परिभाषित करें।
उत्तर : जब रचयिता या धारक परक्रामण के उद्देश्य से लिखत (पीठ पर, मुख पर, या संलग्न पर्ची पर) पर हस्ताक्षर करता है, तो उसे पृष्ठांकन करना कहा जाता है।

20. "कोरे पृष्ठांकन" और "पूर्ण पृष्ठांकन" में क्या अंतर है?
उत्तर : यदि पृष्ठांकक केवल अपने हस्ताक्षर करता है, तो यह "कोरा" है; यदि वह किसी विशिष्ट व्यक्ति को भुगतान करने का निर्देश जोड़ता है, तो यह "पूर्ण" पृष्ठांकन है।

21. धारा 17 के तहत संदिग्ध लिखतों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है?
उत्तर : जहाँ लिखत को वचन-पत्र या विनिमय-पत्र दोनों के रूप में समझा जा सकता है, वहाँ धारक अपनी पसंद के अनुसार उसे किसी भी रूप में मान सकता है।

22. यदि राशि अंकों और शब्दों में अलग-अलग लिखी गई हो तो क्या होता है?
उत्तर : यदि राशि अंकों और शब्दों में अलग-अलग बताई गई है, तो शब्दों में बताई गई राशि ही भुगतान की जाने वाली राशि मानी जाएगी।

Sample Preview

www.LinkingLaws.com

ALL-IN-ONE PAPERATHON

CRIMINAL MINOR LAW - II

- किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989
- दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 & नियम, 1985
- अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958
- स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986
- मोटर वाहन अधिनियम, 1988

Sample Preview

Prelims MCQs,
Mains & Interview Questions

हिंदी संस्करण

Linking Publication
Jodhpur, Rajasthan

www.LinkingLaws.com

Preface

Hello & नमस्कार,

Since 2011, when I entered in Law field, I have felt that current system of studying law as a Law learner is quite traditional (like 1980's competition times). I strongly believed one thing that if you want to fight in present tough competition war like judiciary exams or any other law exam, you must be equipped with smart techniques to learn with tech support. So, in student life as LL.B. student, I used to start linking with one provision other similar provisions at same time, so that I can recall multiple sections/concepts in one MCQs.

Along with that I do believe in one statement, **"वर्तमान को समझने के लिए, अतीत को देखें और फिर भविष्य के बारे में सोचना शुरू करें"**. This statement is directly linked with every student life. So, I found previous papers helpful to understand previous exam level, source of question asked in those exam etc. But frankly saying, I was not satisfied with traditional way of just solving previous exam papers MCQs, instead I decided that to get better output in preparation, we need to analysis the previous paper subject wise rather year wise.

All these ideas, efforts, and experiences have come together in one powerful initiative—"**Paperathon**." It's not just a study tool; it's a movement towards smarter, sharper, and Subject wise strategic judiciary preparation. It is featured with the Linking Technique—a modern, game-changing approach that connects concepts, laws, and real-world application like never before.

In **Prelims**, you'll get linked provisions with clear explanations, helping you master the 'why' behind every question. In **Mains**, you'll learn how to write answers that don't just inform but impress—through linking-based structure and analysis. And for the **Interview**, Paperathon brings you exclusive, real-time Questions & Answers straight from those who've cracked it—now proudly serving as Civil Judges across various states.

This is more than preparation—it's transformation. And I truly believe Paperathon will save you time, boost your confidence, and help you walk into every stage of the exam with clarity, strategy, and a winning edge.

"Don't just prepare. Link your preparation with purpose, precision, and power."

With belief in your journey,

- **Tansukh Paliwal**

Founder of Linking Laws

© All rights including copyright reserved with the publisher.

Sample Preview

Disclaimer

No part of the present book may be reproduced re-casted by any person in any manner whatsoever or translated in any other language without written permission of publishers or Author(s). All efforts have been made to avoid any error or mistakes as to contents but this book may be subject to any un-intentional error/omission etc.

Edition : 2026

www.LinkingLaws.com

INDEX

Sr. No.	Subjects	Page No.
Part – I (Prelims MCQs)		
1.	किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015	1-9
2.	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989	10-19
3.	दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 & नियम, 1985	20-23
4.	अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958	24-29
5.	स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986	30-33
6.	मोटर वाहन अधिनियम, 1988	34-40
Part – II (Mains Questions Solved)		
7.	किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015	41-74
8.	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989	75-96
9.	दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 & नियम, 1985	97-106
10.	अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958	107-111
11.	स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986	112-120
12.	मोटर वाहन अधिनियम, 1988	121-144
Part – III (Interview Questions Solved)		
13.	किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015	145-151
14.	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989	152-154
15.	दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 & नियम, 1985	155-156
16.	अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958	157-160
17.	स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986	161-163
18.	मोटर वाहन अधिनियम, 1988	164-175

Sample Preview

Part - I

Prelims MCQs

Sample Preview

अध्याय I : प्रारंभिक (1-2)

1. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और सरंक्षण) अधिनियम 2000 की धारा 2(ठ) के अनुसार कौन "विधि का उल्लंघन करने वाला किशोर' है?

(a) एक किशोर, जिसके बारे में यह अभिकथन है कि उसने कोई अपराध कारित किया है और ऐसा अपराध करने की तारीख को उसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है

(b) एक किशोर, जिसके बारे में यह अभिकथन है कि उसने कोई अपराध कारित किया है और ऐसा अपराध करने की तारीख को उसने 12 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है

(c) एक किशोर, जिसके बारे में यह अभिकथन है कि उसने कोई अपराध कारित किया है और ऐसा अपराध करने की तारीख को उसने 16 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है

(d) एक किशोर, जिसके बारे में यह अभिकथन है कि उसने कोई अपराध कारित किया है और ऐसा अपराध करने की तारीख को उसने 14 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है

[RJS 2015]

Ans. [a]

स्पष्टीकरण - धारा 2(13) JJ Act, 2015 - विधि का उल्लंघन करने वाला किशोर - जिसके बारे मे अभिकथित है की उसने अपराध किया है और ऐसा किशोर अपराध करने की तारीख को **18** वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है।

लिंकिंग प्रावधान:-

1. **धारा 4** - किशोर न्यायिक बोर्ड (विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर के संबंध में शक्ति का प्रयोग करने के लिए)
2. **धारा 10** - विधि का उल्लंघन करने वाले बालक की गिरफ्तारी।
3. **अध्याय 4** - विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के संबंध मे प्रक्रिया (धारा 10-26)

2. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 2(12) के अधीन "बालक" से अभिप्राय: उस व्यक्ति से है, जिसने पूर्ण नहीं की है:

(a) 21 वर्ष की आयु
(b) 18 वर्ष की आयु
(c) 14 वर्ष की आयु
(d) 16 वर्ष की आयु

[RJS 2016]

Ans. [b]

लिंकिंग प्रावधान :-

1. **धारा** 2(13) - विधि का उल्लंघन करने वाला किशोर।
2. **धारा** 2(14) – देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाला बालक।
3. **धारा** 2(35) - किशोर।

स्पष्टीकरण - धारा 2(12) - ऐसा व्यक्ति जिसने **18** वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है।

3. किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत 'गंभीर अपराध' में वे अपराध शामिल हैं जिनके लिए भारतीय दंड संहिता, 1860 या उस समय लागू किसी अन्य विधि के अंतर्गत न्यूनतम दंड है.....

(A) पाँच वर्ष या उससे अधिक का कारावास
(B) सात वर्ष या उससे अधिक का कारावास
(C) मृत्युदंड या आजीवन कारावास
(D) दस वर्ष या उससे अधिक का कारावास

[GJS, 2022]

Ans. [B]

लिंकिंग प्रावधान- धारा 2(33) L/w 2(45), 2(54), 15 JJ Act.

स्पष्टीकरण- धारा 2(33) "गंभीर अपराध" को परिभाषित करती है। इसमें कहा गया है कि गंभीर अपराध वे हैं जिनके लिए भारतीय दंड संहिता या उस समय लागू किसी अन्य विधि के अंतर्गत न्यूनतम दंड सात वर्ष या उससे अधिक का कारावास है।

4. किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत, "जघन्य अपराधों" में वे अपराध शामिल हैं जिनके लिए भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) या किसी अन्य कानून के तहत न्यूनतम सजा ----------

(A) पाँच वर्ष या उससे अधिक का कारावास
(B) सात वर्ष या उससे अधिक का कारावास
(C) मृत्युदंड या आजीवन कारावास
(D) दस वर्ष या उससे अधिक का कारावास

[GJS, 2025]

Ans. [B]

लिंकिंग प्रावधान :-

1. **धारा – 2 (45) - छोटे-मोटे अपराध**
2. **धारा – 2(54) - गंभीर अपराध**
3. **धारा – 2 (33) - जघन्य अपराध**

स्पष्टीकरण - किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 2(33) **के अनुसार 'जघन्य अपराध' शब्द उन** अपराधों को संदर्भित करता है जिनके लिए भारतीय दंड संहिता, 1860 या लागू कोई अन्य कानून न्यूनतम सात साल की जेल कारावास या उससे अधिक की सजा का निर्देश देता है। किसी अपराध को "जघन्य अपराध" के रूप में वर्गीकृत करने के लिए सात साल या उससे अधिक की कैद की न्यूनतम अवधि आवश्यक है।

5. किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की किस धारा के तहत "कानून के साथ संघर्ष करने वाले बच्चे" की परिभाषा प्रदान की गई है?

(A) धारा 2(12)
(B) धारा 2(13)
(C) धारा 2(14)
(D) धारा 2(15)

[GJS, 2025]

Ans. [B]

लिंकिंग प्रावधान:-

1. **धारा 4** – किशोर न्याय बोर्ड (कानून के साथ संघर्ष में किशोरों के संबंध में शक्ति का प्रयोग करने के लिए)
2. **धारा 10** - कानून के साथ संघर्ष में एक बच्चे की आशंका।
3. **अध्याय 4** - कानून के साथ संघर्ष में बच्चे के संबंध में प्रक्रिया (धारा 10-26)

स्पष्टीकरण – जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 2(13) – कानून के साथ संघर्ष में किशोर – जिस पर अपराध करने का आरोप है और ऐसे किशोर ने अपराध करने की तारीख को 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है।

6. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के प्रावधानों के अन्तर्गत, "किशोर" से अभिप्रेत है

(1) सोलह वर्ष से कम आयु का बालक
(2) अठारह वर्ष से कम आयु का बालक या सोलह वर्ष से कम आयु की बालिका
(3) इक्कीस वर्ष से कम आयु का बालक या अठारह वर्ष से कम आयु की बालिका
(4) अठारह वर्ष से कम आयु का बालक

[RJS 2025]

Ans. [4]

लिंकिंग प्रावधान:-

1. **धारा 2(12)** - बालक।
2. **धारा 2(13)** - विधि का उल्लंघन करने वाला बालक।
3. **धारा 2(14)** - देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाला बालक।

स्पष्टीकरण:- किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 2(35) के अंतर्गत, "किशोर" वह बालक है जिसने अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। इस शब्द को "बालक" से प्रतिस्थापित कर दिया गया है और अब इसका तात्पर्य या तो "विधि का उल्लंघन करने वाले बालक" (जिसने कोई अपराध किया है) या "देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक" से है।

Sample Preview

www.LinkingLaws.com

7. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख) और संरक्षण अधिनियम, 2015 के अंतर्गत, "पश्चातवर्ती देखरेख " से उन ---------- और जिन्होंने समाज की मुख्य धारा से जुड़ने के व्यक्तियों की जिन्होंने लिए किसी संस्थागत देखरेख का त्याग कर दिया है, वित्तीय और अन्यथा सहायता का उपबंध किया जाना अभिप्रेत है ।

(1) अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो
(2) इक्कीस वर्ष की आयु पूरी कर ली हो
(3) अठारह वर्ष की आयु पूरी कर ली है परन्तु इक्कीस वर्ष की आयु पूरी नहीं की है
(4) पन्द्रह वर्ष की आयु पूरी कर ली है परन्तु अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है

[RJS 2024]

Ans. [3]

स्पष्टीकरण:- किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 2(5) में प्रावधान है कि "पश्चातवर्ती देखरेख" का अर्थ उन व्यक्तियों को वित्तीय या अन्यथा सहायता का प्रावधान करना है, जिन्होंने अठारह वर्ष की आयु पूरी कर ली है, लेकिन इक्कीस वर्ष की आयु पूरी नहीं की है और समाज की मुख्यधारा में शामिल होने के लिए कोई भी संस्थागत देखभाल छोड़ दी है।

8. किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015- किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत किसे 'बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के रूप में नामित नहीं किया जा सकता है ?

(a) प्रधान आरक्षक
(b) सहायक उपनिरीक्षक
(c) उप-निरीक्षक
(d) ऊपर के सभी

[MPCJ 2024]

Ans. [a]

लिंकिंग प्रावधान - धारा 27

स्पष्टीकरण - धारा 107 (2) - बच्चों से संबंधित पुलिस के सभी कार्यों के समन्वय के लिए, राज्य सरकार प्रत्येक जिले और शहर में विशेष किशोर पुलिस इकाइयों का गठन करेगी, जिसका नेतृत्व पुलिस अधीक्षक या उससे ऊपर के स्तर का पुलिस अधिकारी करेगा और इसमें सभी पुलिस अधिकारी शामिल होंगे। उपधारा (1) के तहत नामित और बाल कल्याण के क्षेत्र में काम करने का अनुभव रखने वाले दो सामाजिक कार्यकर्ता, जिनमें से एक महिला होगी।

9. किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम 2015- किशोर न्याय (बालकों की देख- रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 में विभिन्न प्रकार के अपराधों की परिभाषा में निम्नलिखित में से किसमें अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2021 द्वारा संशोधन किया गया था ?

(a) छोटे अपराध
(b) जघन्य अपराध
(c) घोर अपराध
(d) इनमें से कोई नहीं

[MPCJ 2024]

Ans. [c]

लिंकिंग प्रावधान - धारा 86

स्पष्टीकरण- धारा 2 (54) - घोर अपराधों में वे अपराध शामिल हैं जिनके लिए भारतीय दंड संहिता या उस समय लागू किसी अन्य विधि के तहत सजा है -

(ए) तीन वर्ष से अधिक और सात वर्ष से अधिक की अवधि के लिए न्यूनतम कारावास; या
(बी) सात वर्ष से अधिक की अवधि के अधिकतम कारावास का उपबंध है किन्तु कोई न्यूनतम कारावास या सात वर्ष से कम का न्यूनतम कारावास का उपबंध नहीं है।

[किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2021 द्वारा प्रतिस्थापित]

10. किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 2 (12) के अनुसार "बच्चे" से अभिप्राय है

(A) जिसने 16 वर्ष की आयु पूरी कर ली है ।
(B) जिसने अभी 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है ।
(C) जो 18 वर्ष की आयु से कम है ।
(D) जो 16 वर्ष की आयु से कम है ।

[MPADPO, 2022]

Ans. [B]

स्पष्टीकरण- किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 2(12) के अनुसार, "बालक" से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। यह परिभाषा सुनिश्चित करती है कि अधिनियम 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को देखभाल और संरक्षण के हकदार बच्चों के रूप में शामिल करता है।

17. किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के अंतर्गत "बालक" किसे कहा गया है?

(A) 14 वर्ष से कम
(B) 16 वर्ष से कम
(C) 18 वर्ष से कम
(D) 21 वर्ष से कम

Ans.(C)

स्पष्टीकरण: धारा 2(12) में स्पष्ट रूप से बालक वह व्यक्ति है जिसकी आयु अठारह वर्ष से कम हो। यह अधिनियम के सभी प्रावधानों के लिए आधारभूत आयु निर्धारित करता है।

18. "अभिभावकहीन एवं देखभाल की आवश्यकता वाले बालक" की परिभाषा किस धारा में दी गई है?

(A) धारा 2(14)
(B) धारा 2(21)
(C) धारा 3
(D) धारा 4

Ans.(A)

स्पष्टीकरण: विस्तृत परिभाषा प्रदान करती है जिसमें त्यागे गए, अनाथ, शोषित या जोखिमग्रस्त बालक सम्मिलित हैं। यह प्रावधान CWC की कार्यवाही के लिए मूल आधार है।

19. "कानून से संघर्षरत बालक" वह बालक है जिसने अपराध कथित रूप से किस आयु से कम में किया हो?

(A) 14 वर्ष
(B) 16 वर्ष
(C) 17 वर्ष
(D) 18 वर्ष

Ans.(D)

स्पष्टीकरण: धारा 2(13) कहती है कि वह बालक जिसने अपराध का कृत्य अठारह वर्ष से कम आयु में किया हो, कानून से संघर्षरत बालक है। यह श्रेणी JJB के अधिकार क्षेत्र को निर्धारित करती है।

20. "जघन्य अपराध" वह है जिसमें न्यूनतम दंड कितना हो?

(A) 3 वर्ष
(B) 5 वर्ष
(C) 7 वर्ष
(D) 10 वर्ष

Sample Preview

www.LinkingLaws.com

Part - II

Mains Questions Solved

Sample Preview

अध्याय I : प्रारंभिक (1-2)

1. *Juvenile* Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 की परिधि (Scope) एवं प्रयोज्यता (Applicability) पर चर्चा कीजिए। यह अधिनियम भारत भर के बच्चों को किस प्रकार संरक्षण प्रदान करता है?

Ans. 1. अधिनियम की परिधि (Scope)

Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 का उद्देश्य बच्चों की **देखभाल, संरक्षण, विकास, उपचार और पुनर्वास** सुनिश्चित करना है। यह अधिनियम मुख्यतः दो प्रकार के बच्चों से संबंधित है—

(1) **कानून से संघर्ष में आए बच्चे (Children in Conflict with Law)** तथा

(2) **देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे (Children in Need of Care and Protection)।**

अधिनियम बच्चों के मामलों के निपटारे के लिए विशेष संस्थाओं की व्यवस्था करता है, जैसे **Juvenile Justice Board (JJB)** और **Child Welfare Committee (CWC)**। इसके अतिरिक्त बच्चों के पुनर्वास और सामाजिक पुनर्स्थापन के लिए **Observation Homes, Special Homes, Children's Homes, Foster Care, Adoption और After-care programmes** की व्यवस्था भी की गई है। इस प्रकार अधिनियम का दायरा बाल संरक्षण और पुनर्वास की संपूर्ण व्यवस्था को शामिल करता है।

2. अधिनियम की प्रयोज्यता (Applicability)

यह अधिनियम **सम्पूर्ण भारत में लागू** है। इसके अंतर्गत **18 वर्ष से कम आयु का प्रत्येक व्यक्ति "बालक/बालिका"** माना जाता है। यह अधिनियम उन सभी मामलों पर लागू होता है जहाँ कोई बच्चा कानून से संघर्ष में हो या उसे देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता हो।

अधिनियम **Child Care Institutions** के पंजीकरण और विनियमन का भी प्रावधान करता है ताकि बच्चों को उचित देखभाल और संरक्षण मिल सके। साथ ही, बच्चों द्वारा किए गए अपराधों को **Petty, Serious और Heinous offences** में वर्गीकृत कर उनके लिए अलग-अलग प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

3. भारत में बच्चों को प्रदान किया गया संरक्षण

यह अधिनियम बच्चों के लिए **child-friendly justice system** स्थापित करता है जिसमें दंड के बजाय **सुधार और पुनर्वास** पर जोर दिया गया है।

अनाथ, परित्यक्त, शोषित या तस्करी के शिकार बच्चों को **आश्रय, शिक्षा, चिकित्सा और पुनर्वास** की सुविधा प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त अधिनियम **दत्तक ग्रहण (Adoption), Foster Care और पुनर्वास योजनाओं** के माध्यम से बच्चों को पारिवारिक वातावरण उपलब्ध कराने का प्रयास करता है।

इस प्रकार **Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015** बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक व्यापक कानून है। यह अधिनियम बच्चों के सर्वोत्तम हित को प्राथमिकता देते हुए उनके संरक्षण, देखभाल और सामाजिक पुनर्वास को सुनिश्चित करता है तथा पूरे भारत में बाल न्याय प्रणाली को सुदृढ़ बनाता है।

2. Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 के अधिनियमित होने के उद्देश्य एवं प्रयोजन का परीक्षण कीजिए। यह Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000 से किस प्रकार भिन्न है?

Ans. 1. Juvenile Justice Act, 2015 के उद्देश्य एवं प्रयोजन

Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 का मुख्य उद्देश्य बच्चों के **संरक्षण, देखभाल, उपचार, विकास और पुनर्वास** को सुनिश्चित करना है। यह अधिनियम बच्चों से संबंधित मामलों में **बाल-हित सर्वोपरि (Best Interest of the Child)** के सिद्धांत पर आधारित है।

इस अधिनियम के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं—

1. **बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना** तथा उन्हें शोषण, उपेक्षा और दुर्व्यवहार से सुरक्षा प्रदान करना।
2. **कानून से संघर्ष में आए बच्चों के लिए सुधारात्मक व्यवस्था** प्रदान करना, ताकि उन्हें दंडित करने के बजाय उनका पुनर्वास किया जा सके।
3. **देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों** को आश्रय, शिक्षा, चिकित्सा और पुनर्वास उपलब्ध कराना।
4. **Juvenile Justice Board (JJB)** और **Child Welfare Committee (CWC)** जैसी संस्थाओं के माध्यम से बाल-हितैषी न्याय प्रणाली स्थापित करना।
5. **दत्तक ग्रहण (Adoption) की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाना** ताकि अनाथ और परित्यक्त बच्चों को पारिवारिक वातावरण मिल सके।
6. बच्चों के **सामाजिक पुनर्स्थापन और पुनर्वास** को बढ़ावा देना।

2. Juvenile Justice Act, 2015 और Juvenile Justice Act, 2000 के बीच अंतर

Juvenile Justice Act, 2015 ने 2000 के अधिनियम को प्रतिस्थापित करते हुए कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। प्रमुख अंतर निम्नलिखित हैं—

1. **Heinous Offences के संबंध में प्रावधान:** 2015 के अधिनियम में 16–18 वर्ष आयु के बच्चों द्वारा किए गए **heinous offences** के मामलों में Juvenile Justice Board को यह आकलन करने का अधिकार दिया गया है कि बच्चे को वयस्क के रूप में ट्रायल किया जा सकता है या नहीं। जबकि 2000 के अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था।
2. **अपराधों का वर्गीकरण:** 2015 के अधिनियम में अपराधों को **petty, serious और heinous offences** में वर्गीकृत किया गया है, जबकि 2000 के अधिनियम में ऐसा स्पष्ट वर्गीकरण नहीं था।
3. **दत्तक ग्रहण की नई व्यवस्था:** 2015 के अधिनियम में **Central Adoption Resource Authority (CARA)** को वैधानिक दर्जा दिया गया और दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित बनाया गया।
4. **Child Care Institutions का पंजीकरण:** 2015 के अधिनियम में सभी बाल देखभाल संस्थाओं का **अनिवार्य पंजीकरण** आवश्यक किया गया है, जबकि 2000 के अधिनियम में यह व्यवस्था उतनी सख्त नहीं थी।
5. **दंडात्मक प्रावधानों का समावेश:** 2015 के अधिनियम में बच्चों के विरुद्ध अपराधों जैसे **क्रूरता, परित्याग, बाल तस्करी** आदि के लिए कठोर दंड का प्रावधान किया गया है।

इस प्रकार Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 बच्चों के संरक्षण और पुनर्वास के लिए अधिक व्यापक और सुदृढ़ कानून है। यह अधिनियम 2000 के अधिनियम की कमियों को दूर करते हुए बच्चों के सर्वोत्तम हित, सुरक्षा और विकास को सुनिश्चित करने के लिए अधिक प्रभावी तंत्र प्रदान करता है।

Sample Preview

www.LinkingLaws.com

Part - III

Interview Questions Solved

www.LinkingLaws.com

अध्याय I : प्रारंभिक (1-2)

1. किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 कब लागू हुआ?
उत्तर : यह 15 जनवरी, 2016 को केंद्र सरकार की अधिसूचना द्वारा लागू हुआ।

2. किशोर न्याय अधिनियम, 2015 का क्षेत्राधिकार क्या है?
उत्तर : यह सम्पूर्ण भारत में लागू है, सिवाय जम्मू और कश्मीर राज्य के।

3. किशोर न्याय बोर्ड की संरचना क्या है?
उत्तर : इसमें एक महानगरीय मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रधान मजिस्ट्रेट) जिनके पास कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो, तथा दो समाजसेवी होते हैं, जिनमें से एक महिला होना आवश्यक है।

4. किशोर न्याय अधिनियम, 2015 क्यों बनाया गया और इसने किस पूर्ववर्ती कानून को प्रतिस्थापित किया?
उत्तर : यह अधिनियम उन बालकों के लिए बनाया गया जो कानून से संघर्षरत हैं या संरक्षण की आवश्यकता में हैं, और इसने किशोर न्याय अधिनियम, 2000 को प्रतिस्थापित किया।

5. यह अधिनियम किन श्रेणियों के बालकों पर लागू होता है?
उत्तर : यह कानून से संघर्षरत बालकों और देखभाल व संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों पर लागू होता है।

6. सरकार द्वारा अधिसूचित अधिनियम की लागू होने की तिथि बताइए।
उत्तर : यह अधिनियम 15 जनवरी, 2016 को लागू हुआ।

7. अधिनियम में संस्थागतकरण का सिद्धांत क्या है?
उत्तर : किसी बालक को संस्थागत देखभाल में केवल अंतिम उपाय के रूप में रखा जाएगा, उचित जांच के बाद।

अध्याय II. : बालकों की देख-रेख और संरक्षण के साधारण सिद्धान्त (3)

8. अधिनियम में "निर्दोषता की धारणा" का मार्गदर्शक सिद्धांत क्या है?
उत्तर : प्रत्येक बालक को 18 वर्ष की आयु तक दुर्भावना या अपराधी मानसिकता से निर्दोष माना जाएगा।

9. अधिनियम के अंतर्गत "बालक" किसे कहते हैं?
उत्तर : बालक वह व्यक्ति है जिसने अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है।

10. गरिमा और मूल्य का सिद्धांत बालकों की रक्षा कैसे करता है?
उत्तर : यह सभी मानवों सहित बालकों को समान गरिमा और अधिकार प्रदान करता है।

11. यदि कोई बालक कार्यवाही में अपनी राय व्यक्त करना चाहता है, तो कौन-सा सिद्धांत इस अधिकार का समर्थन करता है?
उत्तर : सहभागिता का सिद्धांत।

12. "कानून से संघर्षरत बालक" किसे कहते हैं?
उत्तर : वह बालक जिसने अपराध किया हो या करने का आरोप हो और अपराध की तिथि पर उसकी आयु अठारह वर्ष से कम हो।

13. निर्णय-प्रक्रिया में "बालक के सर्वोत्तम हित" का क्या अर्थ है?
उत्तर : निर्णयों में बालक के अधिकार, पहचान, कल्याण और विकास को प्राथमिकता दी जाती है।

14. बालक की देखभाल और संरक्षण की प्राथमिक जिम्मेदारी किसकी होती है?
उत्तर : जैविक, दत्तक या पालक परिवार।

15. सुरक्षा के सिद्धांत के अंतर्गत कौन-से उपाय अनिवार्य हैं?
उत्तर : बालक को सुरक्षित रखने और उसे हानि, शोषण या दुर्व्यवहार से बचाने के उपाय।

16. अधिनियम गैर-कलंकित शब्दावली पर जोर क्यों देता है?
उत्तर : ताकि बालकों से संबंधित प्रक्रियाओं में विरोधात्मक या आरोपात्मक शब्दों का प्रयोग न हो।

17. क्या बालक इस अधिनियम के अंतर्गत अपने मौलिक अधिकारों का त्याग कर सकता है?
उत्तर : नहीं, अधिकारों का त्याग स्वीकार्य या वैध नहीं है।

18. अंतिम उपाय के रूप में संस्थागतकरण का सिद्धांत क्या दर्शाता है?
उत्तर : संस्थागत देखभाल केवल उचित जांच के बाद और जब कोई अन्य विकल्प न हो, तभी अपनाई जाएगी।

19. "नई शुरुआत" का सिद्धांत क्या है?
उत्तर : किशोर न्याय प्रणाली के अंतर्गत बालक का पूर्व रिकॉर्ड मिटा दिया जाएगा, विशेष परिस्थितियों को छोड़कर।

अध्याय III. : किशोर न्याय बोर्ड (4-9)

20. किशोर न्याय बोर्ड के मुख्य कार्य क्या हैं?
उत्तर : कानून से संघर्षरत बालकों की जांच करना, आदेश पारित करना और उनके पुनर्वास को सुनिश्चित करना।

21. बोर्ड के सभी निर्णयों को कौन-सा सिद्धांत मार्गदर्शित करता है?
उत्तर : बालक के सर्वोत्तम हित का सिद्धांत।

22. किशोर न्याय बोर्ड किस धारा के अंतर्गत गठित किया जाता है?
उत्तर : धारा 4 प्रत्येक जिले में किशोर न्याय बोर्ड के गठन का प्रावधान करती है।

23. किशोर न्याय बोर्ड की संरचना क्या है?
उत्तर : इसमें एक प्रधान मजिस्ट्रेट (महानगरीय या प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, तीन वर्ष का अनुभव सहित) तथा दो समाजसेवी होते हैं, जिनमें से एक महिला होना आवश्यक है।

24. यदि बालक कानून से संघर्षरत न पाया जाए तो बोर्ड कौन-सा आदेश पारित कर सकता है?
उत्तर : बोर्ड बालक को मुक्त कर सकता है और आवश्यकता होने पर देखभाल व संरक्षण का आदेश दे सकता है।

25. बोर्ड में महिला सदस्य का होना क्यों अनिवार्य है?
उत्तर : लैंगिक संवेदनशीलता और बाल अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने हेतु।

26. यदि जांच के दौरान बालक वयस्क हो जाए तो क्या होता है?
उत्तर : धारा 5 बोर्ड को जांच जारी रखने और सुरक्षित स्थान पर रखने का आदेश देने की अनुमति देती है।

27. यदि किसी व्यक्ति ने अपराध 18 वर्ष से कम आयु में किया हो परंतु जांच 18 वर्ष के बाद जारी रहे तो उसे कैसे माना जाएगा?
उत्तर : धारा 6 के अनुसार ऐसे व्यक्ति को जांच के उद्देश्य से बालक माना जाएगा।

28. जांच के दौरान बोर्ड कौन-सी प्रक्रिया अपनाता है?

Sample Preview

www.LinkingLaws.com

ALL-IN-ONE PAPERATHON©

For Preliminary, Mains & Interview

Covered more than 15 States' Judiciary Exams.
Available in English and Hindi Edition

Civil Major Laws

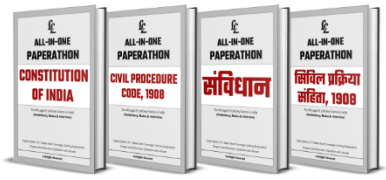

Criminal Major Laws

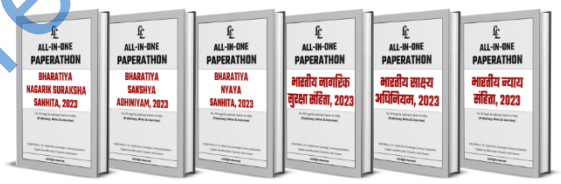

Civil Minor Laws

Criminal Minor Laws

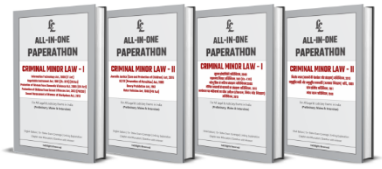

Family Laws

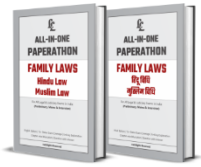

Uncodified Laws

Scan this QR
Order Now or visit
www.LinkingLaws.com

E-Study Material for Judiciary and Law Exams
is available at **Linking App.**

www.LinkingLaws.com

Sample Preview